PART I

HARYANA GOVERNMENT

LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 23rd January, 2006

No. Leg. 9/2006.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 17th January, 2006, and is hereby published for general information :—

HARYANA ACT NO. 8 OF 2006

THE HARYANA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2005

AN

ACT

further to amend the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 2 of Haryana Act 6 of 2005.

2. In section 2 of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter called the principal Act),—

(i) the existing clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) thereof and before the clause so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(a) "aided institution employee" means a person in the wholetime employment of any primary school, secondary school, college, university or technical education institution recognised and aided by the State Government for payment of salary, etc.;';

(ii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

'(jj) "public sector employee" means a person in the wholetime employment of any public sector undertaking including boards and corporations of the State of Haryana and drawing salary from the concerned institute;'.

Amendment of section 9 of Haryana Act 6 of 2005.

3. In sub-section (2) of section 9 of the principal Act,—

(i) for the existing clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(a) bring out annual reduction in revenue deficit from the financial year 2005-06, so as to bring it down to zero by 2008-09 and generate revenue surplus thereafter;

(b) bring out annual reduction in fiscal deficit from the financial year 2005-06, so as to bring it down to 3% of GSDP by the year ending March, 2009;";

(ii) in clause (c), in the second proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(iii) after clause (c), the following clauses shall be added at the end, namely :—

"(d) bring out annual statement giving prospects for the State's economy and related fiscal strategy; and

(e) bring out special reports along with the budget giving details of number of employees in Government, public sector and aided institutions and their related salaries.".

Amendment of section 11 of Haryana Act 6 of 2005.

4. In sub-section (5) of section 11 of the principal Act, the words "independent of the State Government" shall be omitted.

R. S. MADAN,
Secretary to Government, Haryana,
Legislative Department.

भाग I

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 मई, 2006

संख्या लैज. 9/2006—दि हरियाणा फ़िस्कॅल रिस्पॉन्सॅबिल्-इटि ऐन्ड बॅजिट मैनइज्मॅन्ट (अॅमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2005, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 8 मई, 2006, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2006 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2005

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2005, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,— 2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

(i) विद्यमान खण्ड (क) को, खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड से पहले, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "सहायताप्राप्त संस्था कर्मचारी" से अभिप्राय है, वेतन इत्यादि के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त तथा सहायताप्राप्त कोई प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा संस्था के पूर्णकालिक नियोजन में कोई व्यक्ति;';

(ii) खण्ड (ज) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(जज) "पब्लिक सेक्टर कर्मचारी" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के बोर्डों तथा निगमों सहित किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के पूर्णकालिक नियोजन में कोई व्यक्ति तथा जो सम्बद्ध संस्थान से वेतन ले रहा हो;'।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में,—

(i) विद्यमान खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) वित्तीय वर्ष 2005-06 से राजस्व घाटे में वार्षिक कटौती प्रकट करेगी ताकि 2008-09 तक इसे शून्य तक लाया जा सके तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष की स्थिति लाई जा सके।

(ख) वित्तीय वर्ष 2005-06 से राजकोषीय घाटे में वार्षिक कटौती प्रकट करेगी ताकि मार्च, 2009, को समाप्त होने वाले वर्ष तक इसे जी०एस०डी०पी० के 3 प्रतिशत तक लाया जा सके ;";

(ii) खण्ड (ग) में, द्वितीय परन्तुक में, अन्त में, विद्यमान "। " चिह्न के स्थान पर, "; " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खण्ड (ग) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) राज्य की अर्थव्यवस्था तथा सम्बन्धित राजकोषीय योजना के लिए प्रत्याशा देते हुए वार्षिक विवरण प्रकट करेगी; तथा

(ङ) सरकार, पब्लिक सेक्टर तथा सहायताप्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे सम्बन्धित वेतनों के ब्यौरे देते हुए बजट के साथ विशेष रिपोर्ट प्रकट करेगी।"।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 11 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में, "राज्य सरकार की स्वतंत्र" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

एम० एस० सुल्लर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।